संख्या:128/2022/374/35-4-2022/001-35-4099/110/2021

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 21 अप्रैल,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र- कादीपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक, बडौरा ख्वाजापुर, कादीपुर, सुल्तानपुर के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-46/2020/518/35-4-2020, दिनांक 30 मार्च, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू. 2006.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-115/2021/1215/35-4-2021, दिनांक 03 अगस्त, 2021 द्वारा लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू. 803.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जनपद द्वारा पत्र संख्या-218/त्व0आ0वि0यो0/2022-23, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों से प्रथम एवं द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक का उपभोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 1003.40 लाख को समायोजित करते हुए तृतीय किश्त के रूप में अनुमन्य धनराशि रू. 501.70 लाख (रूपये पॉच करोड़ एक लाख सत्तर हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	तृतीय किश्त में अवमुक्त की जा रही धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक, बडौरा ख्वाजापुर, कादीपुर, सुल्तानपुर का भवन निर्माण कार्य	2006.80	1003.40	501.70

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध:

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2020 एवं दिनांक 03 अगस्त,2021 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

8- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,01,70,000 (रुपये पांच करोड़ एक लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखा शीर्षक** 4202021040302 राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः 5/ 2022/ बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक-29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:128/2022/374/35-4-2022/001-35-4099/110/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0 प्र0 जल निगम, टी0सी0-38 बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुल्तानपुर।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सुल्तानपुर।
15- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-44, सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, अयोध्या।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in